

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 30/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
श्रीमती सुन्दरदेवी पत्नी भंवरसिंह पुत्री मानसिंह जाति पुरोहित निवासी मोराई, तहसील जैतारण हाल निवासी ग्राम मादा तहसील देसूरी जिला पाली		1- भंवरसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति पुरोहित निवासी ग्राम मोराई तहसील जैतारण जिला पाली 2- ग्राम पंचायत मोराई, पंचायत समिति जैतारण जरिये सरपंच

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 22-12-2017 जो उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा म्युटेशन अपील संख्या 5/2014 अनवान श्रीमती सुन्दरदेवी बनाम भंवरसिंह में पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1-तेजमल रांका अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2-मालम सिंह राजपुरोहित अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 1 की ओर से ।
- 3-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 2की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25-10-2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोहराई तहसील जैतारण के नामांतरकरण संख्या 642 दिनांक अंकित नहीं जो खातेदार मानसिंह पुत्र सबल सिंह एवं शिवराज पुत्र मलूकचंद के फोट होने पर फोतेदगी का म्युटेशन सरपंच ग्राम पंचायत मोहराई द्वारा स्वीकृत किया गया था, उसके विरुद्ध वर्तमान अपीलार्थियां श्रीमती सुन्दरदेवी पुत्री मानसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22-12-2017 के द्वारा अपील को अवधिपार होना मानते हुए खारीज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थियां ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन भंवरसिंह पुत्र मानसिंह के नाम स्वीकृत किया गया जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर उक्त अपील के नोटिस भंवरसिंह पुत्र मानसिंह के नाम जारी होने पर नोटिस भंवरसिंह पुत्र सांवतसिंह ने प्राप्त किया तथा अधीनस्थ न्यायालय में भंवरसिंह पुत्र सांवतसिंह ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर भंवरसिंह पुत्र सांवतसिंह को पक्षकार बनाया ।

वकील अपीलार्थियां का कथन है कि स्व० खातेदार मानसिंह के एकमात्र जायदा पुत्री अपीलार्थियां ही है, स्व० मानसिंह के कोई जायदा पुत्र नहीं था । उक्त खातेदार मानसिंह एवं शिवराज के फोट होने पर उनके खातेदारी की भूमि के संबंध में फोतेदगी म्युटेशन संख्या 642 बिना मृतक के विधिक वारिसान की जांच किये तथा अपीलार्थियां को सुनवाई

का अवसर दिये स्वीकृत कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत म्युटेशन की अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसका जवाब अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंड भंवरसिंह पुत्र सांवतसिंह ने पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिविरुद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

वकील अपीलार्थियों ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थियां स्वो खातेदार मानसिंह की एकमात्र जायंदा पुत्री होने के नाते मृतक के खातेदारी की भूमि विरासत में उसकी पुत्री के नाम ही दर्ज होनी चाहिये थी परंतु राजस्व कर्मियों एवं सरपंच ने मिलावट कर अपीलाधीन म्युटेशन भंवरसिंह जो अपीलार्थियों का चचेरा भाई है, उसके पक्ष में स्वीकृत कर दिया जो प्रारंभ से ही अवैध एवं शून्य है इसलिए ऐसे शून्य आदेशों के विरुद्ध अपील में मयाद नियम लागू नहीं होता है इस संबंध में वकील अपीलांत ने ए. आई.आर. 1994 एस.सी. पेज 853 की निर्णय नजीर का उद्धरण पेश करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

वकील अपीलांत ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थियों की प्रथम अपील के गुणावगुण पर परीक्षण किये बिना ही केवल मयाद के प्रश्न पर अपील को खारीज करने में विधिक भूल की है। वकील अपीलार्थियों ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दोनों पक्षों को सुना गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंड भंवरसिंह की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मानसिंह की मृत्यु के थोड़े दिन बाद उसकी पत्नी सुवटी (वर्तमान अपीलार्थियों की माता) अपनी नाबालिग पुत्री प्रार्थियों को लेकर गांव बारवा चली गई अर्थात् रेस्पोंड स्वयं स्वीकार करता है कि प्रार्थियों मृतक खातेदार मानसिंह की पुत्री हैं ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय मेरिट पर पारित किया जाना चाहिये था परंतु केवल मयाद के बिन्दु पर अपील को खारीज करने में विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त करने का निवेदन किया।

वकील अपीलार्थियों ने अपीलाधीन नामांतरकरण की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि नामांतरकरण पर पटवारी के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं, म्युटेशन पर सीधे गिरदावर की जांच रिपोर्ट दिनांक 10-10-77 पर हस्ताक्षर तथा सरपंच द्वारा स्वीकृति के हस्ताक्षर किये हुए हैं, उस पर भी कोई तारीख अंकित नहीं की हुई है तथा यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करते समय अपीलार्थियों की माता को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन प्रारंभ से ही शून्य होने से ऐसे आदेशों को कभी भी जानकारी होने पर चुनौती दी जा सकती है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया।

वकील अपीलार्थियों द्वारा न्यायालय में बहस के दौरान किये गये कथन कि अपीलार्थियों के पिता की अन्य खातेदारी की भूमि में उसके पिता के स्थान पर उसकी

पत्नी एवं अपीलार्थियों का नाम विरासत के म्यूटेशन में दर्ज किया गया था जिसकी पुष्टि स्वरूप अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने फार्म नंबर 3 के सलंगन जमाबंदी संवत् 2073-76 की प्रतियां दिनांक 22-10-2018 को पेश करते हुए अपीलाधीन म्यूटेशन में भी उसका नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया ।

अंत में वकील अपीलांत ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22-12-2017 को निरस्त करने तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर मृतक खातेदार के विधिक वारिस अपीलार्थियों के नाम म्यूटेशन दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया । वकील अपीलांत ने अपनी बहस के समर्थन में परिसीमा अधिनियम के संबंध में आर.आर.डी. 1992 पेज 17, आर.आर.डी. 1996 पेज 16, आर.आर.डी. 1992 पेज 239, आर.एल.डब्लू 2008 (2) आरजे पेज 1142, आर.आर.टी.2002 (1) पेज 257 की निर्णय नजीरे पेश की । अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के समर्थन में 2013(1)आर.एल.डब्लू. पेज 268 (राज), 2012(1)आर.एल.डब्लू. पेज 63 (एससी), आर.आर.डी. 1998 पेज 319 की निर्णय नजीरे, 1997 (1) एपेक्स कोर्ट जोधपुर 105 (एससी), आर.एल.डब्लू.2008 (2) राज. 812, आर.आर.डी.1994 पेज 85, 2012 (1) डी.एन.जे राज. पेज 527 तथा ए.आई.आर.1994 एस.सी. पेज 853 की निर्णय नजीरे पेश की ।

वकील रेस्पों ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 38 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील के साथ जो धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया गया था उसमें देरी को क्षमा करने बाबत कोई ठोस एवं संतोषप्रद कारण का उल्लेख नहीं किया है जिस पर विश्वास किया जाकर अपील को अंदर मयाद सुमार किया जा सकें । वकील रेस्पों ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलंब को क्षमा करने बाबत मात्र यह लिखना कि फसल खराबा होने पर मुआवजा लेने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का से उक्त म्यूटेशन की जानकारी हुई परंतु पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थियों को जानकारी देने बाबत कोई शपथपत्र पटवारी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए केवल कयासी कारण का उल्लेख धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थियों की अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होना पाया जाता है । वकील रेस्पों ने अपनी इस बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2011 वोल्युम 4 पेज 421 की निर्णय नजीर का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि यदि विलंब से प्रस्तुत अपील में यदि विलंब को क्षमा करने बाबत प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई पर्याप्त एवं संतोषप्रद कारण का उल्लेख नहीं होने पर अपील को अंदर मयाद सुमार नहीं किया जाना चाहिये तथा मयाद के बिन्दु को पहले निर्णित करना चाहिये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांत की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पों ने अपनी बहस के समर्थन में डी.एन.जे. 2011 (1) पेज 421, आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 801 (एच.सी), आर.आर.टी. 2010 (1)

पेज 19 (एच.सी), आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 17, आर.आर.डी. 1991 पेज 25, आर.आर.डी. 1994 पेज 276, आर.आर.डी. 1991 पेज 164 की निर्णय नजीरे पेश करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रिबेटल बहस में अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने कथन किया कि क्या पत्नी व पुत्री के पीहर चली जाने से मानसिंह के वारिसान के अधिकार समाप्त हो जायेंगे ? अपीलार्थियों को जब भी अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी हुई उसके द्वारा अपने अधिकारों के लिए अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश कर दी थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से अपीलाट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 642 ग्राम मोहराई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा अपनी बहस के समर्थन में प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी परीक्षण किया । अपीलाधीन ग्राम मोहराई तहसील जैतारण के नामांतरकरण संख्या 642 में अंकित भूमि के खातेदार मानसिंह पुत्र सबल सिंह एवं शिवराज पुत्र मलूकचंद के फोट होने पर उक्त फोतेदगी का म्युटेशन सरपंच ग्राम पंचायत मोहराई द्वारा स्वीकृत किया गया है, उक्त म्युटेशन फोतेदगी का म्युटेशन होने से मृतक के विधिक वारिस की जांच कर स्वीकृत किया जाना चाहिये था परंतु उक्त म्युटेशन मृतक के प्रथम श्रेणी के वारिसान मृतक की पत्नी एवं पुत्री जो तत्समय दोनों जीवित थी तथा उनके अधिकार विरासत में स्वतः ही उत्पन्न हो चुके थे परंतु उनके नाम दर्ज नहीं करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 भंवरसिंह जो कि मृतक खातेदार मानसिंह का भतीजा है, उसे मानसिंह का पुत्र बताते हुए सरपंच ग्राम पंचायत मोहराई द्वारा स्वीकृत कर दिया तथा उक्त म्युटेशन पर पटवारी हल्का के कोई हस्ताक्षर ही नहीं है सीधे गिरदावर की जांच रिपोर्ट के बाद सरपंच द्वारा स्वीकृत कर दिया जाना प्रकट होता है, जो विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है ।


अपीलार्थियों सुन्दर देवी जो कि मृतक खातेदार मान सिंह की जायंदा पुत्री है तथा मृतक खातेदार की प्रथम श्रेणी की वारिस है, इस बात का रेस्पो0 ने कोई खण्डन नहीं किया है । अपीलार्थियों को उक्त म्युटेशन संख्या 642 की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण के समक्ष प्रथम अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 भंवरसिंह, पुत्र मानसिंह के नाम का सम्मन जाने पर उक्त सम्मन को वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 भंवर सिंह पुत्र सावतसिंह ने प्राप्त किया तथा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने 16-11-16 को वर्तमान रेस्पो0 को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पक्षकार बनाने के आदेश पारित किये गये तथा पत्रावली में दिनांक 21-12-17 को उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस अपील मय धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 22-12-2017 को रखी

जाकर उक्त दिनांक को अपीलार्थियों की अपील को केवल मयाद के बिन्दु पर ही खारीज कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य तो प्रकट हो चुका था कि मृतक खातेदार मानसिह की पत्नी एवं पुत्री म्युटेशन स्वीकृति के समय जीवित थी, जैसाकि रेस्प0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि खातेदार मानसिह की मृत्यु के थोड़े दिनों बाद उसकी पत्नी सुबटीदेवी ने अपनी नाबालिग पुत्री (वर्तमान अपीलार्थियां) को लेकर गांव बारवा चली गई थी अर्थात् मृतक खातेदार मानसिह के प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलार्थियां की मां तत्समय जीवित होते हुए बिना जांच के स्व0 मानसिह के खातेदारी की भूमि का फोतेदगी म्युटेशन भंवरसिह पुत्र मानसिह के नाम उतराधिकारी के रूप में स्वीकृत कर दिया, तो क्या उक्त म्युटेशन सही स्वीकृत हुआ था ? अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर किये बिना अपीलार्थियों की अपील को केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य नहीं होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

वकील अपीलार्थियां ने फार्म नंबर 3 के सलंगन ग्राम मोहराई की जमाबंदी संवत् 2073-76 की प्रतियां पेश की हैं जिसमें खसरा नंबर 169 तथा 169/1 की भूमियों में मृतक खातेदार मानसिह के स्थान पर भंवरसिह पुत्र सांवतसिह, सुबटीदेवी पत्नी मानसिह एवं सुन्दरदेवी पुत्री मानसिह के नाम दर्ज हैं ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22-12-2017 ग्राम ग्राम मोहराई का म्युटेशन संख्या 642 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जैतारण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक खातेदार मानसिह के विधिक वारिसान की जांच कर अपीलार्थियां एवं रेस्प0 संख्या 1 को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नामांतरकरण के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही सम्पन्न करें ।

निर्णय आज दिनांक 25-10-2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।


(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर